''शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति: बाराबंकी जनपद का समाजशास्त्रीय अध्ययन''

(Right to Education Act and Educational Status of Girls in Rural Area: A Sociological Study of Barabanki District)

बाबासाहेब भीमराव अम्बडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ से

समाजशास्त्र विषय में डॉक्टर आफ फिलॉसफी की

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–सारांशिका

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

LUCKNOW

प्रज्ञा शील करुणा

ESTABLISHED 1996

प्रो0 बीरेन्द्र नारायण दुबे
(शोध निर्देशक)

संगीता कुमारी
(शोध–छात्रा)
(नामांकन संख्या–201/12)

समाजशास्त्र विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

2018

देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की ओर ठोस कदम उठाये गये थे तथा संविधान में अनुच्छेद 45 में निर्दिष्ट किया गया था कि राज्य 10 वर्षों के भीतर सभी 6–14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 1951 से हमारे देश में विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से शुरू किये गये। जिसमें बालक/बालिकाओं की शिक्षा पर समान बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न परियोजनाओं के संचालन के क्रम में नई शिक्षा नीति (1986) में प्राथमिक स्तर का अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के उपाय पर बल दिया। अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये तथा वर्तमान में अपव्यय अवरोधन के निदान एवं शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने एवं गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे–जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), सर्वशिक्षा अभियान (2001), मिड डे मिल योजना (1995), कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (2004) आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे है, परन्तु अभी भी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है।

अध्ययन समस्या

भारत में सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी आज बालिकाओं की शिक्षा की समस्या विकाराल रूप धारण किये हुए है। बालिकाओं का जीवन आज भी अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक समस्याओं से ग्रसित है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह समस्या और भी विकट रूप से व्याप्त है। देश में करोड़ों बालिकायें गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित है तथा स्कूल ड्रापआउट की समस्या अभी भी बनी हुयी है। जो देश एवं समाज के लिए चिन्ता का विषय है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद क्या ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार हो पा रहा है? इस अधिनियम के द्वारा क्या बालिकाओं की शैक्षिक समस्यायें दूर हो पा रही है? यह अधिनियम जैसा कि समाज में बराबरी और विकास लाने की भावना से ही शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है पर क्या यह अधिनियम

बालिकाओं को बराबरी एवं विकास की दृष्टि से समानता लाने में योगदान दे पा रहा है? आदि का पता लगाना ही प्रस्तुत शोध अध्ययन की समस्या है।

उद्देश्य

1. भारत वर्ष में विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न शिक्षा आयोगों तथा कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करना।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)।
3. ग्रामीण बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति पर इसका प्रभाव का अध्ययन करना।

उपकल्पना

1. अभिभावकों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करती है।
2. ग्रामीण बालिकाओं में स्कूल छोड़ने (Drop-Out) की समस्या बनी हुई है।
3. ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
4. अभिभावकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा अन्य शैक्षिक योजनाओं की जानकारी की कमी होती है।
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन ि"ाक्षा का अधिकार अधिनियम एवं ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थितिः बाराबंकी जनपद का समाज"ाास्त्रीय अध्ययन पर केंद्रित है। इस अध्ययन में दिये गये ि"ाक्षा का अधिकार अधिनियम एवं ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति सम्बंधी विवरण वि"ाषकर महत्वपूर्ण हैं। इस शोध अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के रूप में बाराबंकी जिले के सिद्धौर विकास खण्ड का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। शोध प्रबन्ध में अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रारूप का प्रयोग किया गया है। आँकडे एकत्र करने के लिए साक्षात्कार

अनुसूची का प्रयोग किया गया है। शोध प्रबन्ध में निदर्शन के द्वारा सिद्धौर ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले प्राइमरी स्कूलों में से दस मिश्रित स्कूलों का चयन किया गया है। जिसमें से सात परिषदीय विद्यालय तथा दो प्राईवेट विद्यालय एवं एक कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में से कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। अन्य सभी स्कूलों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। अध्ययन के निदर्श के रूप में 300 बालिकाओं को शामिल किया गया हैं। इनके अलावा बालिकाओं के अभिभावक तथा स्कूल के सभी अध्यापक (पुरूष एवं महिला) भी शामिल हैं। इस शोध अध्ययन में उत्तर दाता के रूप में शामिल बालिकाओ, अभिभावको एवं अध्यापकों द्वारा प्राप्त आकड़ा के विश्लेषण करने से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं।

बालिकाओं के परिवार की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है। इससे स्पष्ट है कि चयनित विद्यालय में मुख्य रूप से हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म की अनुयायी बालिकाएं विद्यालय में अध्ययन कर रही हैं। अन्य धर्मों से सम्बधित कोई भी बालिका अध्ययन नहीं कर रही है। सामान्य वर्ग की बालिकाएं अल्प मात्रा में नामांकित हैं जिनकी संख्या मात्र 21 है, जो ब्राह्मण, बनिया एवं कायस्थ जातियों में विभक्त हैं। अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं का नामांकन अधिक संख्या में है जिनकी संख्या 120 है। अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों में नाई, लोधी, अहीर, कुर्मी, लोहार, एवं कुम्हार आदि जातियों की बालिकाएं सम्मिलित हैं। इनमें से प्रमुख रूप से कुर्मी एवं लोधी जाति की बालिकाआ की संख्या अधिक है। अनुसूचित जाति की बालिकाओं की संख्या भी अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या के बराबर 120 है। अनुसूचित जाति में सम्मिलित बालिकाएँ हैं जो धोबी, कोरी, पासी एवं चमार जाति से हैं। इनमें से सबसे अधिक चमार, पासी एवं कोरी जाति की बालिकाएँ हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 39 बालिकाएं पंजीकृत हैं जो तुलनात्मक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति की संख्या में कम हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की जातियों में मुख्य रूप से जुलाहा, कसाई, हेला, फ़कीर, दर्ज़ी एवं पठान जातियां हैं। विद्यालयानुसार सामान्य वर्ग की बालिकाओं का अन्य जातीय वर्ग की

तुलना में परिषदीय विद्यालय में नामांकन बहुत कम है। जिससे यह भी ज्ञात होता है कि परिषदीय विद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं अधिक पढ़ती हैं।

परिवार के प्रकार के रूप में संयुक्त परिवार में रहने वाली बालिकायें सर्वाधिक परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढती है। तथा एकांकी परिवार में रहने वाली बालिकायें सवाधिक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ती ह। मकान स्वरूप आधार पर परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाली सर्वाधिक बालिकायें मिश्रित मकानों में रहती हैं। तथा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली सर्वाधिक बालिकायें पक्के मकानों में निवास करती हैं। तथा कच्चे मकानो में निवास करने वाली सर्वाधिक बालिकायें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती है। परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययन करने वाली बालिकाओ के पिता अधिक संख्या में निरक्षर पाये गये हैं। तथा प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता अधिक संख्या में f"ाक्षित पाये गये हैं। परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढन वाली बालिकाओं की माताएँ सर्वाधिक निरक्षर तथा प्राइवेट विद्यालय में पढने वाली बालिकाओं की माताएँ f"ाक्षित पायी गई हैं। अतः स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढने वाली बालिकाओं की माताओं की अपेक्षा प्राइवेट विद्यालय में पढने वाली बालिकाओं की माताओं का f"ाक्षा का स्तर अच्छा है।

बालिकाओं के अभिभावकों की आर्थिक कार्ड के सन्दर्भ में तथ्यों से यह उभर कर आया है कि अधिकतम बालिकाओं के परिवार के पास अन्त्योदय एवं बी. पी. एल. के ही कार्ड हैं बहुत ही कम मात्रा में ए. पी. एल. कार्डधारी हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि बालिकाओं के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति निम्न है। वहीं विद्यालयानुसार ए. पी. एल. श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली बालिकायें सर्वाधिक प्राइवेट विद्यालय में पढती है तथा बी. पी. एल. कार्ड श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली बालिकायें सबसे अधिक परिषदीय विद्यालय में पढ़ती है एवं अन्त्योदय कार्ड श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली सर्वाधिक बालिकायें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढती

हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकायें निम्न आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों से है। वहीं प्राइवेट विद्यालय की बालिकायें सर्वाधिक उच्च आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवारों से सम्बन्धित है।

अभिभावकों के व्यवसाय विश्लेषण से पता चलता है कि परिषदीय विद्यालयों की बालिकाओं के पिता मुख्य रूप से कृषि एवं मजदूरी या अन्य आजीविका के साधन के रूप में ठेले–खोमचे लगाना, फेरी लगाना अथवा रिक्शा चलाने का कार्य करते ह, तथा प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता सबसे अधिक सरकारी नौकरी करते है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय म अध्ययनरत बालिकाओं के पिता सर्वाधिक मजदूरी का काम करते ह। अतः इससे स्पष्ट होता है कि निम्न आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले परिवारों की बालिकाये सबसे अधिक परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढाई करती है जबकि उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की बालिकायें प्राइवेट विद्यालय में अधिक पढ़ती है। बालिकाओं के माता के व्यवसाय के सन्दर्भ में यह पाया गया कि परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सभी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की माताएँ सबसे अधिक गहणी हैं। बालिकाओं के पिता की मासिक आय के सन्दर्भ में पाया गया परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाई करने वाली बालिकाओं के पिता की मासिक आय की अपेक्षा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के पिता की मासिक आय की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अतः यह कह सकते हैं कि अध्ययन करने वाली अधिकतम बालिकाओं के परिवार निम्न आर्थिक श्रेणी में हैं। इस अध्ययन में पुष्टि होती है कि गरीब परिवार के बच्चे गाँव के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ते हैं।

शोध अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले दसों विद्यालयों में चाहे परिषदीय विद्यालय हों या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हो सभी विद्यालयों के भवन पक्के बने हुए हैं। कुल सात परिषदीय विद्यालयों में से किसी भी

परिषदीय विद्यालय में बिजली की व्यवस्था हैं। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्त्रबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है। अतः बिजली व्यवस्था के सन्दर्भ में परिषदीय विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई है। ज्यादातर परिषदीय विद्यालयों में पानी पीने की व्यवस्था पाई गई। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शौचालय व्यवस्था अच्छी थी तथा शौचालय प्रयोग करने लायक थे। सभी परिषदीय विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था थी किन्तु केवल 1 विद्यालय में शौचालय प्रयोग करने लायक था शौचालय बने होने के बावजूद विद्यालय में बच्चें प्रयोग नही करते पाये गये क्योंकि शोचालय जर्जर थे एवं साफ सुथरा नहीं थे। इन विद्यालयों में महिला अध्यापकों के लिए भी शौचालय की व्यवस्था नही थी जिसकी वजह से उन्ह भी परे"ाानियाँ उठानी पड़ती थी। अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में चहार दिवारी बनी है तथा कुछ विद्यालय ऐसे है जिसमें चहार दिवारी की व्यवस्था नही है परन्तु वहीं प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चहार दिवारी की व्यवस्था है। ज्यादातर परिषदीय विद्यालयो में बच्चे के लिए खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था पाई गई। वही प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था नहीं पाई गई। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खलने के लिए मैदान की व्यवस्था पाई गई। परिषदीय विद्यालय में खेल सामग्री की व्यवस्था सभी परिषदीय विद्यालय में नहीं है एवं प्राइवेट विद्यालय में खेल सामग्री की व्यवस्था नहीं है तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में खेल सामग्री की व्यवस्था पाई गई।

परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय या फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका हो सभी विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था नहों पाई गई है। विद्यालय में पठन पाठन हेतु श्यामपटट चाकडेस्टर की व्यवस्था सभी विद्यालय चाहे परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्ृालय सभी में व्यवस्था है। सभी परिषदीय विद्यालय में से प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु अलग अलग कमरों की व्यवस्था नहीं है किन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी विद्यालय में

अध्ययन हेतु अलग अलग कमरों की व्यवस्था पाई गई है। प्राईवेट विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु कमरों की व्यवस्था पाई गई। इसी प्रकार कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु कमरों की व्यवस्था पाई गई।

विद्यालयों में मिलने वाली सुविधाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सभी परिषदीय विद्यालय एंव कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था है। जबकि प्राइवेट विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था नही है क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की योजना लागू नहीं हैं। सभी परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है जब कि प्राइवेट विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था नही है। विद्यालय म मिलने वाले नि:"ुल्क पुस्तकें/स्कूल ड्रेस का लाभ परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका में पढन वाले सभी बच्चों को मिलता है परन्तु प्राइवेट विद्यालय में यह व्यवस्था नहीं है। सभी परिषदीय विद्यालय में से प्राथमिक स्तर पर परिषदीय विद्यालय में अध्यापक प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को साथ बैठाकर छात्रों को पढाते हैं तथा अवलोकन में भी यह पाया गया कि कक्षा 1–5 तक परिषदीय विद्यालय मे प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु अलग अलग कमरों की व्यवस्था न होने पर एक ही कक्षा में अन्य कक्षा के विद्यार्थी को एक साथ बैठकर अध्यापक बच्चों को पढाते है। कुछ विद्यालय में अवलोकन के माध्यम से यह पाया गया कि एक हो कक्षा में आधे बच्चे एक तरफ मुँह करके पढ़ाई कर रहे थे तथा आधे बच्चे को दूसरी तरफ मुंह करके बच्चां को पढाया जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योकि उन विद्यालय में अध्यापक कम थे। जो सभी बच्चों पर ध्यान नही दे पाते थे। परन्तु उच्च परिषदीय विद्यालय स्तर पर प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को अलग–अलग पढ़ाते हैं। प्राइवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को अलग–अलग कमरो में पढाया जाता है। सभी परिषदीय विद्यालय में से अधिकांश परिषदीय विद्यालय में अध्यापक द्वारा बिना ले"ान प्लान बनाये हुए ही

बच्चा को पढ़ाते हुए पाये गये। प्राइवट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बावासीय बालिका विद्यालय में बच्चों को ले"ान प्लान बनाकर पढाते ह। परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हो सभी विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा में प्र"न पत्र छापकर ही बच्चों की लिखित परीक्षा लिये जाने की व्यवस्था है। सभी परिषदीय विद्यालयों में से एक विद्यालय में बच्चे मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। कुछ विद्यालयां में बच्चे टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते हुए पाये गये तथा कुछ विद्यालयों में बच्चे चटाई पर बैठकर पढ़ाई करते हुए पाये। प्राईवेट विद्यालय में सभी बच्चे मज कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी सभी बालिकायें मज कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करती हैं।

परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों की तुलना में प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासोय बालिका विद्यालय के अध्यापकों की िा"क्षा का स्तर उच्च ह। परिषदीय व़िद्यालय में सर्वाधिक बी0 टी0 सी0 शैक्षिक प्र"ाक्षण प्राप्त अध्यापक पाये गये। प्राइवेट विद्यालय के अध्यापक सर्वाधिक बिना किसी शैक्षिक प्र"ाक्षण प्राप्त किये विद्यालय में पढ़ा रहें हैं तथा बी0 एड0/बी0 पी0 एड0 प्राप्त शैक्षिक प्र"ाक्षण अध्यापक सर्वाधिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाते है। परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढाने वाले सर्वाधिक अध्यापक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त है। परिषदीय विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यपकों की संख्या 25 है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक की संख्या 8 तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 7 पाई गई। अधिकांश विद्यालय छात्र–िा"क्षक अनुपात को पूरा नहीं करते है। अतः उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि िा"क्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी परिषदीय विद्यालया में अध्यापकों की संख्या कम है।

कुल प्रतिदिन विद्यालय न जाने वाली बालिकाओ की अपेक्षा प्रतिदिन विद्यालय जाने वाली बालिकाओं की संख्या अधिक है। परिषदीय विद्यालय की बालिकायें जो प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाती है उन बालिकाओं में सर्वाधिक

बालिकायें अपने छोटे–भाई बहनों की देखभाल करने की वजह से प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाती है विद्यालय में मिल रहें मध्यान्ह भाजन को पसन्द करने के सन्दर्भ में पाया गया परिषदोय विद्यालय में पढ़ने वाली अधिकां"ा बालिकाओं को मध्यान्ह भोजन पसन्द आता है इसी प्रकार कस्तूराबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकायें भी अधिकांशतः मध्यान्ह भोजन को पसन्द करती है। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की अपेक्षा परिषदीय विद्यालय की बालिकाओं की हिन्दी विषय पढ़ने की स्थिति खराब पाई गई। अंग्रेजी विषय न पढ़ पाने वाली सर्वाधिक बालिकायें परिषदीय विद्यालय से सम्बन्धित हैं। अतः प्राइवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तुलना में परिषदीय विद्यालय की बालिकायें अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक कमजार पाई गई। विद्यालय में विषय के अतिरिक्त अन्य कुछ सिखायें जाने के सन्दर्भ में पाया गया परिषदीय विद्यालय में पीटी के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता है। क्योंकि उनके विद्यालय में उक्त सुविधाओं का अभाव है।

प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सत्र 2014–15 में कुल नामांकन 1166 थी, वहीं सत्र 2015–16 में नामांकन 1213 नामांकन हो गयी। अर्थात कुल नामांकन में वृद्धि हुयी। प्राथमिक स्तर पर सरकारी एवं प्राईवेट विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राईवेट विद्यालय में कोई वृद्धि नही हुई है परन्तु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन में वृद्धि हुई है। कक्षावार बालक एवं बालिकाओं के नामांकन स्थिति दोनों सत्रों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में कुल नामांकन के आधार पर बालकों के अनुपात म बालिकाओं का नामांकन कक्षा 1, कक्षा 4 एवं कक्षा 5 में बृद्धि दर्शाता है एवं कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में बालकों के अनुपात में बालिकाओं के नामांकन में कमी आयी है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर केवल कक्षा 7 में बढ़ोत्तरी है जबकि कक्षा 6 एवं कक्षा 8 में नामांकन में कमी आयी है। विद्यालय स्वरूप के आधार पर बालक एवं बालिकाओं का नामांकन दोनों सत्रों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि बालकों के नामांकन में सर्वाधिक वृद्धि परिषदीय विद्यालय में हुई हैं। जबकि बालिकाओं का परिषदीय विद्यालय,

प्राईवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सभी विद्यालयों में नामांकन की वृद्धि हुई हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं के नामांकन में अधिक वृद्धि हुई हैं। सामाजिक श्रेणी आधार पर विद्यार्थियों की नामांकन स्थिति सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में नामांकन में वृद्धि हुई है जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में कमी आयी हैं। केवल कस्तूरबा विद्यालय में अल्पसंख्यक बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई हैं।

बलिकाओं द्वारा बीच सत्र में विद्यालय छोडने की समस्या के सन्दर्भ में पाया गया है कि बालिकाओं की नामांकन स्थिति बेहतर है किन्तु स्कूल छोड़ने की समस्या बनी हुई है। क्षेत्रधारित अध्ययन से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर पर यह लगभग दस प्रतिशत है। परिषदीय विद्यालयों में यह समस्या व्याप्त पाई गई किन्तु प्राईवेट और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में यह न के बराबर है। बालिकाओं के द्वारा बीच सत्र में विद्यालय छोड़ने की स्थिति पर शिक्षकों का विचार था कि पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अभिभावकों की अरूचि प्रमुख कारण हैं। इसी सन्दर्भ में अभिभावकों का कहना था कि आर्थिक एवं पारिवारिक प्रमुख कारण हैं। वहीं बालिकाओं का कहना था कि कमजोर आर्थिक स्थिति, कम उम्र में विवाह, घरेलू परिस्थितियां, अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक साच इत्यादि कारण प्रमुख हैं।

अध्यापकों के अनुसार परिषदीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ''ाक्षा का अधिकर अधिनियम लागू होने के बाद सर्वाधिक नामांकन स्थिति में सुधार हुआ है। सभी विद्यालय में बालिकाओ के स्कूल छोड़ने की स्थिति में भी सुधार हुआ है। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की अपेक्षा परिषदीय विद्यालय की बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति निम्न दर्जे की है। परिषदीय एंव कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के अभिभावक विद्यालय द्वारा बुलाई गई मीटिंग में सर्वाधिक अभिभावक भाग नहीं लेते ह। अधिकांश अध्यापकों का मानना है कि यदि हमें बालिका शिक्षा में सुधार लाना है तो उसके लिए अभिभावकों को

बालिका शिक्षा के प्रति रुचि लेनी चाहिए तथा उनके महत्व को समझना चाहिए। परिषदीय विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापकों का कहना है कि प्राथमिक f"kक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए विद्यालय में अध्यापकों की भर्ती की जाए। प्राइवेट विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापकों का मानना है कि अभिभावक को अपने बच्चो की f"kक्षा में रूचि लेनी चाहिये। तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापकों का मानना है। अभिभावक f"kक्षा में रूचि लें तथा विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाए तो प्राथमिक f"kक्षा स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों म लड़कियों की f"kक्षा के प्रति दृष्टिकोण के अन्तर्गत पाया गया कि अधिकांश अभिभावक अपनी लड़कियों को केवल इसलिए शिक्षित करना चाहते हैं जिससे कि उनका विवाह आसानी से हो सके। जो यह संकेत देती है आज भी अभिभावक की नजर मे सबसे पहले लड़कियों के लिए शादी ही प्राथमिकता में है बाकी सब बाद में। अपने लड़का/लड़कियों को शिक्षा में समान अवसर नहीं देने वाले अभिभावक अधिक संख्या में पाये गए है। ऐसे अभिभावक अधिक संख्या में पाये गये जो लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना ही पर्याप्त मानते हैं। कुछ अभिभावक पाये गये जिनका कहना है कि लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा के आगे भी पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि अधिकतम अभिभावक अपनी बालिकाओं को प्रथमिक स्तर तक ही अध्ययन कराना चाहते हैं। अपनी लड़कियों को उनकी इच्छानुसार नही पढ़ा पायेगें ऐसे अभिभावको की संख्या अधिक पाई गई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जानकारी के अन्तर्गत पाया गया अधिकांश अभिभावकों को f"kक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी नहीं है। सर्वाधिक अभिभावकों को f"kक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी स्कूल के अध्यापक द्वारा है। जिससे यह स्पष्ट होता है अभिभावकों में जागरुकता लाने में यहाँ अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे अभिभावको की संख्या अधिक पायी गयी जिन्हें प्राईवेट विद्यालय में 25 पतिशत आरक्षण मिलने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अधिकांश अभिभावकों को यह जानकारी नहीं है कि जिस विद्यालय में उनकी बालिकाएं पढ़ने जाती हैं वहाँ सभी प्रकार की सुविधायें लगभग

उपलब्ध है या सन्तुष्टि के लायक है। विद्यालय में बुलाई गई अभिभावक मीटिंग में भाग लेने अधिकांश अभिभावक नहीं जाते हैं उसके पीछे उनके अपने अन्य कार्य होते है जैसे कृषि कार्य करना, मजदूरी करना, समय न मिलना, रुचि न लेना आदि है जिसकी वजह से वह विद्यालय द्वारा बुलाई गई मीटिंग में भाग नहीं ले पाते ह। ऐसे अभिभावक अधिक संख्या में पाये गये जो अपन बच्चों की शैक्षिक प्रगति को जानने के लिए अध्यापक से नहीं मिलते हैं। ऐसे अभिभावक अधिक संख्या में है जो विद्यालय शिक्षा समिति के बारे में नहीं जानते हैं।

शोध परिकल्पनाएँ

इस शोध अध्ययन की **पहली उपकल्पना** है ”अभिभावकों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करती है।” इस सम्बन्ध में पाया गया कि मिश्रित मकानों में रहने वाली बालिकायें सर्वाधिक परिषदीय विद्यालय में पढ़ने जाती है। पक्के मकानों में निवास करने वाली बालिकायें प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जाती है। तथा कच्चे मकानों में निवास करने वाली बालिकायें सवाधिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती है। अतः इससे स्पष्ट होता है। कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की अपेक्षा परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की सामाजिक स्थिति निम्न है। परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकायें निम्न आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों से है। वहीं प्राइवेट विद्यालय की बालिकायें सर्वाधिक उच्च आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवारों से सम्बन्धित है। निम्न आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले परिवारों की बालिकाये सबसे अधिक परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढाई करती है जबकि उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की बालिकायें प्राइवेट विद्यालय में अधिक पढ़ती है। अतः स्पष्ट है कि निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवार की बालिकाओं के अभिभावक अपनी बालिकाओं को सबसे अधिक परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधो आवासीय बालिका विद्यालय मे पढने

के लिए भेजते है। जबकि उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवार की बालिकाओं के आभिभावक अपनी बालिकाओं को प्राइवेट विद्यालय में पढ़नें के लिए भेजते है।

अपनी लड़की को उनकी इच्छानुसार न पढ़ा पाने वाले सबसे अधिक अभिभावक पाये गये। क्षेत्र में तथ्य संकलन के अवलोकन से पता चला कि उनकी असमर्थता का सबसे प्रमुख कारण गरीबी है, जिसकी वजह से वे अपनी लड़की को उनकी इच्छानुसार पढ़ाने में असमर्थता जताते है। अतः तथ्यों के वि”लेषण के आधार पर यहाँ अध्ययन की पहली उपकल्पना सत्य साबित होती है।

अध्ययन की **दूसरी उपकल्पना** है ”ग्रामीण बालिकाओं में स्कूल छोड़ने (Drop-Out) की स्थिति की समस्या बनी हुई है।” इसके अर्न्तगत इस अध्ययन में यह पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर लगभग दस प्रतिशत है। बालिकाओं ने स्कूल छोड़ दिया। अतः तथ्यों के वि”लेषण के आधार पर यहाँ अध्ययन की दूसरी उपकल्पना ” सत्य साबित होती है।

तीसरी उपकल्पना है ”ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो रहा है।” इसके अर्न्तगत इस अध्ययन में यह पाया गया कि परिषदीय विद्यालय में सत्र 2014–15 की अपेक्षा 2015–16 में बालक बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। इस दोनों सत्रों 2014–15 एवं 2015–16 की तुलना करने पर यह पाया गया है कि बालकों की तुलना में सभी विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई अतः इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बालिकाओं के नामांकन स्थिति में सुधार हुआ है। अतः तथ्यों के आधार पर शोध अध्ययन की तीसरी उपकल्पना सत्य साबित होती है।

अध्ययन की **चौथी उपकल्पना** है ”अभिभावकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा अन्य शैक्षिक योजनाओं की जानकारी की कमी होती है।” इस सम्बन्ध में पाया गया कि ि”ाक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी रखने वाले अभिभावकों की अपेक्षा ि”ाक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी न रखने वाले अभिभावकों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है अतः तथ्यो के वि”लेषण के आधार पर यहाँ अध्ययन की चोथी उपकल्पना सही साबित होती है।

अध्ययन की **पाँचवी उपकल्पना** है "शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है।" इस सम्बन्ध में पाया गया कि सभी परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तथा िंक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों को मूलभूत सुविधायें दिये जाने का प्रावधान है उन प्रावधानों को सभी परिषदीय विद्यालय पूरा नहीं करते है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों की परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की गुणवत्ता की स्थिति िंक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी दयनीय बनी हुई हैं। अतः तथ्यों के आधार पर पाँचवी उपकल्पना सही साबित होती है।

तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद भी सच यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की िंक्षा की स्थिति में अपेक्षानुसार सुधार नहीं हो सका है। ज्यादातर योजनायें आंिंक रूप से ही परिणाम दे सकीं है। अतः प्रस्तुत शोध अध्यन से निम्न तथ्य उभरकर सामने आते है यह पाया गया है कि सामान्य वर्ग कि बालिकाओं की तुलना में अन्य जातीय वर्गों अनुसूचित जाति, अन्यपिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक की बालिकाओं का नामांकन परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अधिक है। अतः इस आधार पर यह कह सकते है कि अनुसूचित जाति, अन्यपिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक की बालिकायें अधिकतर परिषदीय विद्यालय में पढ़ती हैं जबकि सामान्य वर्ग की बालिकायें सबसे कम परिषदीय विद्यालय में पढने जाती है उनकी प्राथमिकता प्राइवेट विद्यालय है। इससे यह भी स्पषट होता है कि परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूराबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली अधिकांा बालिकायें निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से सम्बन्धित हैं इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिन बालिकाओं के परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न होती है वे ही बालिकायें परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने जाती हैं। बालिकाओं की नामाकंन स्थिति को देखें तो ज्ञात होता है कि बालिकाओं की स्थिति मात्रात्मक स्थिति से संतोषजनक है, परन्तु गुणात्मक दृष्टि से देखा जाये तो यह ज्ञात होता है कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को प्राप्त होने वाली िंक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इसके विपरीत प्राइवेट

विद्यालय में ज्यादातर छात्राओं की स्थिति इसके विपरीत सुदृढ़ है। ि"ाक्षा का आधिकार अधिनियम (2009) लागू होने के बावजूद सामाजिक समूहों तथा वर्गों का सीधा सम्बन्ध समाज में पहले से व्याप्त सामाजिक संरचना से है। बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति इससे भिन्न नही हैं इसका प्रतिबिम्ब विभिन्न विद्यालयों में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार के अधिनियम जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने हेतु सरकारी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सन्दर्भीकृत करने की आव"यकता है। विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है जिसमें सरकारी कार्यक्रमों के साथ–साथ पंचायती राज्य संस्थायें, ग्राम ि"ाक्षा समितियाँ, विद्यालय प्रबन्धन समितियाँ एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य सकारात्मक ताल–मेल का अभाव न हो जिससे बदलते परिदृ"य में बालिकाओं की ि"ाक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके।